न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश, कक्ष सं0 1, बरेली।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः (2005 / 2026).

UPBR01-006664-2026.

सचिन यादव पुत्र स्व0 वीरपाल,

निवासी ग्राम धर्मपुर निकट रिठौरा, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

अन्तर्गत धाराः 3(5), 109(1), 115(2), 352, 351(3), बी0एन0एस0।

थाना– हाफिजगंज, जिला बरेली।

मु0अ0सं0– 200 / 2026

06.06.2026

आवेदक / अभियुक्त **सचिन यादव** की ओर से प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक / अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है। जमानत आवेदन के साथ उरमान सिंह पुत्र जय सिह का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

जमानत के प्रश्न पर आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन कथनानुसार ''प्रार्थी / वादी अरविन्द्र यादव पुत्र श्री लालताप्रसाद निवासी धर्मपुर रिठौरा बाना हाफिजगंज जिला बरेली का रहने वाला है। कल दिनांक 13.04.2026 को समय करीब रात 8 बजे प्रार्थी के बड़े भाई योगेश यादव, अपने दो छोटे भाई गोपाल यादव, सचिन यादव, अरविन्द यादव, अमित यादव के साथ डलप पर भूसा लेकर खेत से घर आ रहे थे कि रास्ते में गांव के सचिन पुत्र वीरपाल, विजनेश पुत्र पप्पू, अभिषेक पुत्र सत्यपाल, संजू पुत्र श्यामू, विशाल शर्मा पुत्र नन्हे शर्मा आठ–दस अज्ञात लोगो के साथ रास्ता घेरकर खड़े होकर शराब पी रहे थे जिस पर मेरे भाई योगेश यादव ने साईड पर होने को कहा इसी बात पर उक्त लोग मेरे भाई को गंदी गंदी गालियां देने लगे झगडा से बचकर मेरा भाई योगेश, सभी के साथ वहां से चले आये और आकर खेत पर गोपाल व सचिन, अरविन्द्र, अमित व चाचा सुरेश खेत पर खाना खाने लगे, तभी उक्त लोग एक राय होकर तमंचा व बंका, डंडा लेकर खेत पर आ गये और आते ही धमकी देते हुऐ हवा में फायर करने लगे और जान से मारने की नियत से हमलावर हो गये मेरे भाई गोपाल व सचिन, अरविन्द्र, अमित व चाचा सुरेश को मारपीट कर लहूलुहान कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। शोर पर आसपास के लोग आये उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुऐ चले गये।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर प्रकरण अ0सं0 200 / 2026 अन्तर्गत धाराः 3(5), 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 तहत पंजीकृत किया गया। मामला विवेचनाधीन है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत हेतु प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।अभियुक्त निर्दोष है उसपे लगाये गये सारे आरोप असत्य व निराधार है। अभियुक्त पर वादी मुकदमा अरविन्द यादव ने जो आरोप लगाये है

वह बिल्कुल झूठे व निराधार है, गांव की पार्टीबन्दी के कारण यह सारे आरोप प्रार्थी पर लगाये गये है। जबकि वादी मुकदमा अरविन्द यादव के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट व अन्य कई मुकदमा न्यायालय में विचारण है। वादी मुकदमा अरविन्द यादव द्वारा यह प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन बाद साज करके झूठे तथ्यों पर लिखायी है। वादी मुकदमा अरविन्द यादव ने अन्य लोगो का जिला अस्पताल बरेली में साज करके झूठे तथ्यो पर फर्जी मेडिकल लड़ाई झगड़े के बनवा लिये है। अभियुक्त सचिन यादव अपने घर का अकेला पालन पोषण करने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है वह दिनांक 13.04.2026 को अपने खेत से गेहूं निकलवाकर ले जा रहा था तभी वादी मुकदमा व अन्य लोगो ने रास्ते में घेरकर प्रार्थी के साथ गंदी गंदी गालियां व लड़ाई झगड़ा किया था। दर्शाया गया घटना स्थल के पास काफी खेत है, गांव के पास है लेकिन पुलिस ने किसी भी गांव के व्यक्ति को घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया है। अभियुक्त मेहनत मजदूरी करने वाला अपने परिवार का अकेला व्यक्ति है वह अपने परिवार का स्वंय पालन पोषण करता है। अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 को न्यायालय में आत्म समर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में जाकर जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त सचिन यादव की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में थाना हाफिजगंज से जो आपराधिक इतिहास आया है वो आपराधिक इतिहास सचिन पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम खाता, थाना हाफिजगंज, जनपद बरेली का आया है जबकि प्रार्थी ग्राम धर्मपुर थाना हाफिजगंज, बरेली का निवासी है जिस सचिन का आपराधिक इतिहास प्रार्थी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में आया है उसकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो चुकी है तथा उसके पिता की तरफ से थाना हाफिजगंज में मु0अ0सं0–031/2025, दिनांक 31.01.2025 को अपने पुत्र सचिन की मृत्यु के संबंध में धारा–281, 125 (b), 106 बी०एन०एस० में पंजीकृत करायी है। वादी मुकदमा ने थाना हाफिजगंज की पुलिस से साज करके किसी दूसरे सचिन का आपराधिक इतिहास प्रार्थी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में भिजवाया है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को वादी मुकदमा ने साज करके फंसाया है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1, बरेली द्वारा दिनांक 13.05.2026 को निरस्त किया जा चुका है। अभियुक्त उचित जमानतदार देने को तैयार है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के दिशा निर्देशो का पालन करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया।

वादी मुकदमा की ओर से आपत्ति करते हुए कथन किया है कि घटना का स्वरूप गंभीर एवं जघन्य है, अभियुक्त सचिन यादव सहित 8–10 अन्य अभियुक्तों ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत रास्ता रोककर गाली–गलौज की, फिर हथियार (तमंचा, बंका, डंडा) लेकर खेत पर हमला किया। हवा में फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी गई और वादी के भाई योगेश, गोपाल, सचिन, अमित तथा चाचा सुरेश को लहूलुहान कर गंभीर चोटें पहुंचाई गई। यह धारा 109(1) बी.एन.एस. का स्पष्ट मामला है। ऐसे जघन्य अपराध में जमानत प्रदान करना न्यायोचित नहीं होगा जमानत प्रार्थना पत्र में घटना रात्रि 8:00 बजे हुई। घायलों को तुरंत 112 पर सूचना दी गई, पुलिस आई और उन्हें सीएचसी नवाबगंज होते हुए जिला अस्पताल बरेली रेफर किया गया। चिकित्सकीय उपचार एवं प्राथमिक कार्यवाही के बाद एफआईआर दिनांक 14.4.2026 को दर्ज हुई। घायलों की गंभीर स्थिति में एक रात की देरी स्वाभाविक है, कोई साजिश नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र में (मेडिकल रिपोर्ट फर्जी होने का आरोप झूठा है सभी घायलों का मेडिकल जिला अस्पताल बरेली

(सरकारी अस्पताल) में हुआ है। उपरोक्त मुकदमे में स्पष्ट रूप से तमंचा एवं बंका लेकर हमला करने वाले अभियुक्तों में सचिन यादव का नाम है। पुलिस विवेचना के दौरान गवाहों को संरक्षण मिलने पर साक्ष्य सामने आएंगे। यदि सचिन यादव अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में जमानत दिए जाने से ये खतरा उत्पन्न होने की पर्ण संभावना है, फरार होने की संभावना है। दिनांक 13.05.2026 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अन्य कथन करते हुए अभियुक्त सचिन यादव का जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन केस के अनुसार अभियुक्त/आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियुक्त/आवेदक द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई गोपाल व सचिन, अरविन्द्र, अमित व चाचा सुरेश को जान से मारने की नियत से मारपीटकर लहूलुहान कर दिया, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये। चुटैलों की चिकित्सीय आख्या केस डायरी के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार चुटैलों की चोटें गम्भीर प्रकृति की हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अति गंभीर प्रकृति का है।

चुटैल सुरेश की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांकः 13.04.2026 को 22.20 बजे पर किया गया। चिकित्सीय आख्या के अनुसार चुटैल सुरेश के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयीः–

1. **Abraded contusion 8 x 5cm, 10 x 6cm all over** right side of the face.
2. Lacerated Wound (L.W.): 3 x 0.5 x 0.25 cm mid of parietal region.

चुटैल सचिन की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांकः 13.04.2026 को 22.30 बजे पर किया गया। चिकित्सीय आख्या के अनुसार चुटैल सचिन के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयीः–

1. Lacerated Wound (L.W.) 4 x 0.5 x 0.25cm mid of parietal.

चुटैल गोपाल की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांकः 13.04.2026 को 22.40 बजे पर किया गया। चिकित्सीय आख्या के अनुसार चुटैल गोपाल यादव के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयीः–

1. Lacerated Wound (L.W.): 2 x 0.5 x 0.25 cm right side of the cheek.
2. Abraded Contusion: 3 x 2 cm just lateral to right eye.
3. Contusion: 3 x 3 cm right side of the parietal eminence.
4. Diffuse Swelling: 6 x 5 cm right hand.

चुटैल योगेश की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण दिनांकः 13.04.2026 को 22.10 बजे पर किया गया। चिकित्सीय आख्या के अनुसार चुटैल योगेश के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयीः–

1. Contusion: 2 x 2 cm at the bridge of the nose bleeding.

2. Abraded Contusion: 1 x 1 cm both the upper and lower lips.
3. Contusion Diffuse Swelling: 6 x 5 cm right mid-forearm elbow joint.

उपरोक्त चुटैलों को एक्सरे की सलाह दी गयी, जिसमें चुटैल सचिन की एक्सरे रिपोर्ट में No Bony Injury seen. अंकित है।

सुरेश की एक्सरे रिपोर्ट में

1. Face- fracture of Right Zygomatic bone and Right Maxilla bone seen.
2. Skull- "No bony injury seen,"

गोपाल यादव की एक्सरे रिपोर्ट में

Skull- No bony injury seen.
Face-fracture of the Right Zygomatic bone seen.
Right Hand with Wrist
No Bony Injury seen.

योगेश यादव की एक्सरे रिपोर्ट में

1. Face (Nasal Bone)-fracture of the nasal bone seen.
2. Right Hand with Forearm-"No bony injury seen,"

चुटैल योगेश कुमार, गोपाल यादव एवं सचिन की सीटी स्कैन रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है।

अतः अभियुक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया मामला, आरोपित तथ्यों की गम्भीरता, अभियुक्त द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करने, उसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने व साक्षियों के साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना, अन्य तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में अभियुक्त की अग्रिम जमानत संख्या 608/2026 दिनांकित 13.05.2026 को गुण–दोष के आधार पर इस न्यायालय के द्वारा निरस्त की जा चुकी है। ऐसी दशा में प्रश्नगत मामले में कोई नवीन आधार नहीं उत्पन्न होता है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नही है।

<u>आदेश</u>

थाना हाफिजगंज जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 200/2026, धारा 3(5), 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 में अभियुक्त/आवेदक **सचिन यादव** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
जे0ओ0कोड0 यू0पी0 6160
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–1,बरेली।

दिनांकः 06.06.2026

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.06.10 16:52:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court